भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1602**
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों और मुआवज़े का आकलन
1602. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा:
श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने प्रतिशत कृषि बीमा दावों का निपटान हुआ है;
(ख) क्या फसल उपज/नुकसान के त्वरित और सटीक आकलन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नीलगाय, बनरोज, जंगली सूअर, साही और मवेशी आदि जैसे जंगली जानवर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचाते हैं;
(घ) क्या सरकार का जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को पहुँचाए गए नुकसान के लिए उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से मुआवज़ा देने का विचार है और यदि हाँ, तो कितनी राशि का मुआवज़ा दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या संसाधनों और जानकारी के अभाव में कई किसान अपनी कृषि भूमि का उपयोग नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित कई राज्यों में अप्रैल से जुलाई तक उनके खेत में कोई कार्य नहीं होता हैं; और
(च) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है, जिससे उक्त अवधि के दौरान उनकी भूमि का उपयोग किया जा सके और किसानों को लाभ मिल सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क): अधिकांश दावों का निपटान योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा अर्थात बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित उपज के आंकड़े प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर किया जाता है। हालाँकि, PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्य रूप से (क) राज्य सरकार के सब्सिडी हिस्से को प्रदान करने में विलंब (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/विलंबित भुगतान या दावों का कम भुगतान (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति व इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार इन समस्याओं के कारण लंबित दावों का निपटान उनके समाधान के बाद किया जाता है। अब तक दर्ज किए गए कुल 1.88 लाख करोड़ रुपये के दावों में से, 1.83 लाख करोड़ रुपये (97.34%) का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। शेष दावे राज्य सरकार से प्रीमियम सब्सिडी न मिलने, बैंकों द्वारा गलत प्रस्तावों के कारण भुगतान न होने/विलंब से भुगतान/कम भुगतान और उपज के आंकड़ों में विवाद आदि के कारण बकाया हैं।

(ख): उपज आकलन में अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए और साथ ही ग्राम/ग्राम पंचायत के लिए बीमा के यूनिट एरिया में कमी के कारण फसल कटाई प्रयोगों (CCE) की संख्या में वृद्धि, राज्यों के पास जनशक्ति/इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी, सीसीई के संचालन के लिए उपलब्ध कम समय, मैनुअल डेटा संग्रह और ट्रांसमिशन के परिणामस्वरूप गणना और दावों के निपटान में विलंब जैसी विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, उपज के आकलन में प्रौद्योगिकी को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC) के माध्यम से किए गए विभिन्न पायलट अध्ययनों के आधार पर, रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज आकलन हेतु क्रमिक स्थानांतरण के लिए यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली) को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए और खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसल के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% वेटेज अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाना है। 10 प्रमुख राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में कार्यान्वयन के लिए यस-टेक को अपनाया है।

(ग) और (घ): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए बुवाई-पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक, गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों से होने वाली फसल क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। जंगली जानवरों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता था, इसलिए पूर्व में इसे कवर नहीं किया जाता था। तथापि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के अनुरोध पर, राज्यों को व्यक्तिगत आकलन के आधार पर वन्य पशुओं से होने वाले नुकसान को राज्य सरकार की लागत पर एड-ऑन कवर के रूप में अधिसूचित करने की अनुमति दी गई है। इस तरह के कवरेज के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में दिया गया है।

(ङ) और (च): सरकार ने किसानों को उनकी नियमित कृषि गतिविधियों के अतिरिक्त कम वर्षा वाले मौसम में आय सहायता प्रदान करने के लिए मधुमक्खी पालन, बांस रोपण, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि जैसी विभिन्न पहल/योजनाएं शुरू की हैं।

*****